

14.8.4

राज गठ पत्रावली के माध्यम से पीठासीन अधिकारी  
का रत शरीफ रावरी में मुकदमा न आने  
का ब्यक्तिगत कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार  
विषयक ली वेब है। ५

27/10/25

27/10/25 वादी एवं वकील वादी उपर नहीं/बाह-  
र आयाप्त दिवाणी गई किन्तु कोई  
उप. नहीं आया। ऐसी स्थिति में वादा  
वादी अद्विम हाजरी एवं अद्विम परची  
में स्वार्थित किया जाता है। पत्रावली  
कार्यालय दफतर है।

②  
उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)